फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस. एच. ओ. बस्सी बनाम अली हसन व अन्य

केस संख्या 60 /2022 (गो वंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
10-03-2022	पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार उपस्थित है। अप्रार्थी अली हसन उर्फ पप्पू के अधिवक्ता उपस्थित है। थानाधिकारी पुलिस थाना बस्सी की एफआईआर संख्या 77/2022 व सिलसिले आर बी एक्ट की धारा 5, 6, 8 (2) के अनुसार दिनांक 12.02.2022 को जरिये टेलीफोन, गौ रक्षक लोगों द्वारा सूचना मिली की कल्पना नगर बैनाडा मोड पर एक कन्टेनर को रोक रखा है, जिसमें गाये भरी हुई है। मौके पर जाब्ता सहित पहुंच कर देखा तो एक बन्द कन्टेनर एचआर 55 पी 7559 में कुल 32 सांड (गौ वंश) भरे थे, जिनकी उम्र करीब चार से आठ साल थी। कन्टेनर व गौ वशं को जब्त किया गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना बस्सी द्वारा जब्त गो वंश को हिंगोनिया गौ शाला कानोता बस्सी में पहुँचा दिया गया है। अप्रार्थी अली हसन उर्फ पप्पू ने उक्त प्रकरण में जब्त कन्टेनर को जमानत सुपुर्दगी में दिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना बस्सी से केश डायरी तलब की गई। उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के कब्जे से कन्टेनर नम्बर एचआर 55 पी 7559 में कुल 32 साड (गो वंश) उम्र लगभ 4 से 8 वर्ष को ठूंस ठूंस कर भरा हुआ पाया गया है। अप्रार्थीगण ने सांड (गो वंश) के परिवहन बाबत किसी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र/परमिट न तो मौके पर प्रस्तुत किया गया और ही दौराने सुनवाई प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 धारा–7, में अभिग्रहित गो वंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा किये जाने की ही अधिकारिता है। इसके लिए गो वंश को थानाधिकारी पुलिस थाना बस्सी द्वारा पूर्व में ही हिंगोनिया गौ शाला कानोता, बस्सी की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। गोवंश के लिए किसी ने प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कन्टेनर में गो वंश को बिना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक कूरता के साथ भर कर ले जाते पाये गये है। अप्रार्थीगण के विरूद्व आर बी एक्ट के तहत माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है, माननीय सिविल न्यायालय द्वारा जब्त कन्टेनर को बतौर साक्ष्य सबूत तलब किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में जब्त कन्टेनर को इस न्यायालय द्वारा जमानत सुपुर्दगी में दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रार्थी अली हसन उर्फ पप्पू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर जयपुर	